

18.6.18

पत्रावली खाण कॅम्प कोर्ट पोसाका में पेक्षा हुई।  
 पुनर्जा में तहसीलदार उदयपुरवादी द्वारा जलवादावा  
 पुस्तुत किया गया जो शामिल मिसल रहे। जलवा  
 दावा तहसीलदार उदयपुरवादी के अनुकार ग्राम वासदी  
 के हाल ख.नं- 450 रकबा 0.64 है जो जल ख.नं. 357  
 से बके है। ग्राम वासदी की पत्रावली क्रं. 2036-33  
 के खाला क्रं. 64 पर दर्ज ख.नं. 357 में भंगोला मगवाका  
 भूमा वि. सुरवा का नाम दर्ज है। वरवकल बन्दोबस्त  
 विभाग द्वारा रिकार्ड बखाले नाम मगवाका मगवाका  
 भूमा वि. सुरवा दर्ज कर दिया है। इस प्रकार भूमा के  
 बखाम भूमा गलत दर्ज कर दिया। उक्त विवेचन के  
 वादी का वादपत्र साबिल होके के स्वीकार किया जाका  
 उचित व न्यायोचित प्रतिक होता है।

आदेश

वादी का वादपत्र साबिल होके के स्वीकार किया  
 जाका है तथा ग्राम वासदी के वर्तमान भूमि ख.नं. 450  
 में दर्ज भूमा पु. सुरवा के बखाम भूमा पु. सुरवा हुकल  
 किये जाके का आदेश दिया जाका है। ल. अनुकार तहसीलदार  
 उदयपुरवादी राजस्व रिकार्ड में नाम हुकली करे।  
 उक्त काम हुकली के अन्वावा शेष इन्फालत बन्दस्तुर  
 रहेंगे।

पत्रावली कॅम्प ल भुकार होकर नम्बर के काम हो तथा  
 कारिल दपलर हो।

जिसे आणदिकंड 18.6.18 को कॅम्प कोर्ट पोसाका  
 में सुनाया गया।

19  
 उपखण्ड अधिकारी  
 उदयपुरवादी (बुधम)